"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]　　रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2014—भाद्र 14, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2000), विशेष सचिव, वित्त विभाग, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

सुश्री शहला निगार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास शील, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, DFFT योजना अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

2. श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से. (2002), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

आदेश का पालन अविलंब हो.

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/1/2.—सुश्री संगीता पी. भा.प्र.से. (2004) संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रायपुर एवं अपर विकास आयुक्त को दिनांक 18 अगस्त, 2014 से 10 अक्टूबर, 2014 तक मिड कैरियर प्रशिक्षण-III हेतु नियोजित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान सुश्री संगीता पी. का कार्य श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) अपर आयुक्त, मनरेगा, छ.ग. रायपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

2. श्री प्रसन्ना आर. भा.प्र.से. (2004) संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को दिनांक 18 अगस्त, 2014 से 10 अक्टूबर 2014 तक मिड कैरियर प्रशिक्षण-III हेतु नियोजित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का कार्य श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

3. श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (2004) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 18 अगस्त 2014 से 10 अक्टूबर 2014 तक मिड कैरियर प्रशिक्षण-III हेतु नियोजित किया गया है. उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान श्री कटारिया का कार्य श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009) उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्रमांक ई-1-06/2012/1/2.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित 2012 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फेस-दो के प्रशिक्षण संपन्न करने तथा दिनांक 22-08-2014 को कार्यमुक्त होने के परिप्रेक्ष्य में कॉलम 2 में दर्शित अधिकारियों की पदस्थापना उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में दर्शित पद पर करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	पदस्थापना (3)
1.	श्री अभिजीत सिंह, सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी, घरघोड़ा, जिला रायगढ़
2.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी, बगीचा, जिला जशपुर
3.	श्री रजत बंसल, सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी, मानपुर-मोहला, जिला राजनांदगांव
4.	श्री रणबीर शर्मा, सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर
5.	श्री रितेश कुमार अग्रवाल, सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर
6.	श्री शिव अनंत तयाल, सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा
7.	सुश्री स्वाति श्रीवास्तव, सहायक कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी, सराईपाली, जिला महासमुन्द

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 1-50/2001/1-15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के कनिष्ठ प्रशासकीय वेतनमान प्राप्त, उप वन संरक्षक संवर्ग के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2014 में किये गये अनुशंसा अनुसार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 3(2)(i)(iii) के अंतर्गत, निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए स्तम्भ क्रमांक-3 में उल्लेखित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान पी.बी. 4 : रुपये 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रुपये 8700/- में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम/आवंटन वर्ष (2)	प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति की तिथि (3)
1.	श्री राजेश नान्होरिया (2000)	01-01-2014
2.	श्री अरूण कुमार वाहने (2000)	01-01-2014
3.	श्रीमती प्रणिता पाल (2001)	01-01-2014
4.	श्रीमती शालिनी रैना (2001)	01-01-2014
5.	श्री राजेश कल्लाजे (2001)	01-01-2014
6.	श्री कृष्ण कुमार खेलवार (2001)	01-01-2014
7.	श्री एन. के. पाण्डेय (2001)	01-01-2014
8.	श्री अनिल सोनी (2001)	01-01-2014
9.	श्री सत्यप्रकाश मसीह (2001)	01-01-2014

2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 16017/10/2014-आईएफएस II, दिनांक 20-5-2014 द्वारा प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु 10 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन द्वारा श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002), संयुक्त सचिव, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-1/2013/1/5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगर पंचायत सरिया, जिला-रायगढ़, नगर पंचायत नवागढ़, जिला-बेमेतरा एवं नगर पंचायत विश्रामपुरी, जिला-कोण्डागांव के अध्यक्ष को वापस बुलाने हेतु मतदान के लिए, उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में मतदान के लिए नियत तिथि सोमवार दिनांक 14 जुलाई, 2014 को सामान्य अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-09/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. एन. द्विवेदी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को दिनांक 30-08-2014 से दिनांक 09-09-2014 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-10/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. एल. सरन, अपर प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ को दिनांक 11-08-2014 से दिनांक 14-08-2014 तक कुल 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09-10 अगस्त 2014 एवं दिनांक 15 से 18 अगस्त 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सरन, अपर प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सरन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सरन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-24/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन द्वारा श्री दिपांशु विजय काबरा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 04-10-2014 से दिनांक 21-10-2014 (18 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02 एवं 03-10-2014 के राजपत्रित अवकाश की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दिपांशु विजय काबरा आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, मुख्यालय, रायपुर छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री काबरा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपांशु विजय काबरा, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-03/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. बेबर्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ को दिनांक 01-10-2014 से दिनांक 10-10-2014 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11-12 अक्टूबर 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेबर्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बेबर्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेबर्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-08/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती बी. व्ही. उमादेवी, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन को दिनांक 21-07-2014 से दिनांक 30-07-2014 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती उमादेवी, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती उमादेवी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमादेवी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-03/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एन. सी. पंत, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बजट/लेखा), छत्तीसगढ़ को दिनांक 25-08-2014 से दिनांक 03-09-2014 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24-8-2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. पंत, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बजट/लेखा), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में डॉ. पंत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. पंत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2014

क्रमांक-एफ 4-12/2014/56/सू.प्रौ जै.प्रौ.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति (2012-2017) को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 160/2012/56 दिनांक 26 अक्टूबर 2012 द्वारा, 1 नवम्बर, 2013 से प्रभावशील किये जाने हेतु अधिसूचित की गई है.

अतएव, उक्त नीति के खण्ड 6 के अधीन राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नीति के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले विभिन्न मुद्दों पर्यवेक्षण करने, निगरानी करने और उनका समाधान करने हेतु सशक्त समिति (ईसी) गठित करती है, समिति में निम्नांकित अधिकारी सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

1.	मुख्य सचिव	—	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	—	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग	—	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	—	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	—	सदस्य सचिव

यह सशक्त समिति, ई-गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा व्यापार से संबंधित संस्थाओं जैसे-नैस्कॉम, एसटीपीआई, निजी आईटी पार्कों, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, एनआईएसजी, एनईजीडी अथवा ऐसे अन्य किन्हीं व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी या उनसे परामर्श प्राप्त कर सकेगी. समिति निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी और निर्णय लेगी :—

(1) नीति के क्रियान्वयन के संबंध में योजना का अनुमोदन, निगरानी और निष्पादन योजना पर नियंत्रण रखना और समय-समय पर समीक्षाएं करना.

(2) रुपये 100 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन/रियायत की अनुशंसा करना.

(3) एकल खिड़की समाशोधन प्रणाली की निगरानी करना.

(4) अंतर्विभागीय मुद्दे जो कि समय-समय पर उद्भूत हों, का समाधान करना.

(5) इस नीति से संबंधित अथवा समय-सीमा के विस्तार/छूट इत्यादि के संबंध में किसी मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी करना.

(6) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में इच्छुक उद्यमियों द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए, राज्य में सभी वैधानिक अपेक्षाओं को 30 दिवस के भीतर पूर्ण करने पर एकल पंजीयन जारी करना.

(7) अन्य कोई सुसंगत विषय.

इस नीति के संबंध सशक्त समिति के समस्त निर्णय अंतिम होंगे और राज्य में निवेशकों सहित सभी संबंधित पक्षकारों पर बंधनकारी होंगे और इस समिति की बैठक, प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार उसके पूर्व आयोजित किया जाना चाहिये.

No. F 4-12/2014/56/IT BT.—Whereas, Information Technology/Information Technology Enabled Services Investment Policy of Chhattisgarh (2012-2017), has been notified by this department notification number F 160/2012/56 dated 26 October 2012 to have effect from 1st November, 2012;

Now, therefore, the State Government, hereby, In accordance with clause 6 of above Policy constitutes an Empowered Committee (EC) to oversee, monitor and resolve various issues arising out of this Policy, The committee shall consist of the following members :

1.	Chief Secretary	—	Chairperson
2.	ACS/Principal Secretary/Secretary, Finance	—	Member
3.	Principal Secretary/Secretary, Industries	—	Member
4.	Principal Secretary/Secretary, Revenue	—	Member
5.	Principal Secretary/Secretary, IT	—	Member
6.	CEO, CHiPS	—	Member Secretary

The Empowered Committee may consult or invite representatives from institutions related to E-Governance/ IT-ITES sector such as NASSCOM, STPI, Private IT Parks, IIM, IIIT, NISG, NeGD or any such other persons, the Committee will deliberate and decide on the following issues:

(1) To approve the plan, monitor and control the execution plan and do periodic reviews in regards to implementation of the policy.

(2) To recommend additional incentives/concessions for large investments of more than 100 crores.

(3) Monitoring of single window clearance system

(4) Resolution of inter-departmental issues that may arise from time to time.

(5) Issue clarification on any issue pertaining to this policy or extension/relaxation of timelines etc.

(6) Issue single registration for all statutory requirements in the state, within 30 days, for commencement of business activities by the IT/ITES entrepreneurs.

(7) Any other relevant matter.

All decisions of Empowered Committee regarding this policy shall be final and shall be binding to all the concerned parties including investors in the state and the meeting of this Committee may be held atleast once in every three months or earlier as per requirement.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आनंद बाबू, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2014

क्रमांक/6895/1791/21-ब/छ.ग./2014.—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 07-04-2014 के आधार पर कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 3805/सां. लि./2014, दिनांक 09-06-2014 के माध्यम से यह प्रतिवेदन प्राप्त है, कि आप अस्वस्थता की वजह से प्रकरणों की पैरवी करने में असमर्थ हैं.

उपरोक्त कारण से राज्य शासन विधि विभाग नियमावली के नियम 19(1) के तहत इस नोटिस प्राप्ति दिनांक के एक माह के पश्चात् से आपकी सेवाएं समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 (X) एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 के दिशानिर्देश 5 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2 दिनांक 30 सितम्बर, 2010 द्वारा गठित उदन्ती-सीतानदी बाघ संरक्षण फाउंडेशन को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन

और निर्देश देने के लिये शासी निकाय में विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करती है, अर्थात् :—

एक.	श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	—	सदस्य
दो.	श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 4-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 4th August 2014

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of Section 38 (X) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and guideline 5 of the National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007, the State Government, hereby, nominates the following member of the Legislative Assembly in the Governing Body for giving overall policy guidelines and direction to Udanti-Sitanadi Tiger Conservation Foundation constituted by this department's Notification No. F 8-20/2007/10-2 dated 30th September 2010, namely :—

I.	Shri Goverdhan Singh Manjhi, MLA Bindranawagarh	—	Member
II.	Shri Shravan Markam, MLA Sihawa	—	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हर्रा से संबंधित पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के साधारण राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में हर्रा "विनिर्दिष्ट वनोपज" नहीं रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2, दिनांक 19-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 19th August 2014

No. F 13-7/2012/10-2.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 22-A of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and in supersession of all previous notifications related to Harra, the State Government, hereby declares that Harra shall not remain to be a "specified forest produce" in the entire Chhattisgarh State, from the date of publication of this notification in the "Official Gazette".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धमतरी	धमतरी	श्री यशवंत वासनीकर, सी.जी.एम., धमतरी
2.	दुर्ग	दुर्ग/बेमेतरा/बालोद	कु. मोहनी कंवर, जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग
3.	जशपुर	जशपुर	श्री अजय सिंह राजपूत, सी.जी.एम. जशपुर.
1.	कबीरधाम	कबीरधाम	श्री संजय कुमार सोनी, सी.जी.एम. कबीरधाम
5.	कोरिया	कोरिया	श्रीमती उषा गेंदले, सी.जी.एम. कोरिया
6.	महासमुन्द	महासमुन्द	श्रीमती ममता पटेल, सी.जी.एम. महासमुन्द
7.	रायगढ़	रायगढ़	श्री सुनील कुमार नंदे, सी.जी.एम. रायगढ़
8.	रायपुर	रायपुर/गरियाबंद/बलौदाबाजार-भाटापारा	श्रीमती पल्लवी तिवारी, जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर.
9.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	श्री मनोज कुमार प्रजापति, सी.जी.एम., राजनांदगांव
10.	कांकेर	कांकेर	श्रीमती ताजेश्वरी देवी देवांगन, सी.जी.एम. कांकेर
11.	बिलासपुर	बिलासपुर/मुंगेली	श्रीमती पूजा जायसवाल, जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर.

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chief Judicial Magistrate/First Class Judicial Magistrate, mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State level selection

committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Distt.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dhamtari	Dhamtari	Shri Yashwant Wasnikar, Chief Judicial Magistrate, Distt.-Dhamtari.
2.	Durg	Durg/Bemetara/Balod	Ku. Mohni Kanwar, Judicial Magistrate, First Class Distt.-Durg.
3.	Jashpur	Jashpur	Shri Ajay Singh Rajput, Chief Judicial Magistrate, Distt. Jashpur.
4.	Kabirdham	Kabirdham	Shri Sanjay Kumar Soni, Chief Judicial Magistrate, Distt.-Kabirdham.
5.	Koriya	Koriya	Smt. Usha Gandle, Chief Judicial Magistrate, Distt.-Koriya.
6.	Mahasamund	Mahasamund	Smt. Mamta Patel, Chief Judicial Magistrate, Distt.-Mahasamund.
7.	Raigarh	Raigarh	Shri Sunil Kumar Nande, Chief Judicial Magistrate, Distt.-Raigarh.
8.	Raipur	Raipur/Gariyaband/ Balodabazar-Bhatapara	Smt. Pallavi Tiwari, Judicial Magistrate, First Class, Distt.-Raipur.
9.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Shri Manoj Kumar Prajapati, Chief Judicial Magistrate, Distt.-Rajnandgaon.
10.	Kanker	Kanker	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan, Chief Judicial Magistrate, Distt.-Kanker.
11.	Bilaspur	Bilaspur/Mungeli	Smt. Pooja Jaiswal, Judicial Magistrate, First Class Distt.-Bilaspur.

नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 धारा 29 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार जिलों में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन निरस्त करता है :—

क्र.	जिले का नाम	अध्यक्ष/सदस्य का नाम	पद से हटाये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कवर्धा	श्रीमती मालती कौशिक, सदस्य	विगत तीन माह से अधिक समय से बालक कल्याण समिति की बैठक में उपस्थित न होने के कारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 29 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पद से हटाया गया.
2.	बलौदाबाजार	श्रीमती अलका अग्रवाल, सदस्य	

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्रमांक/329/प्र.-1/भू-अर्जन/13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कान्दुल प.ह.नं. 19	0.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित कसही वितरक नहर प्रणाली का विस्तार कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 अगस्त 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 55/अ-82/2011-12.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम सुकुलभठली, प.ह.नं.-36, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि रकबा जुमला 1.384 हे. केलो परियोजना तेलीपाली वितरक नहर के अंतर्गत बाघाडोला लघु नहर हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 04-05-2012 तथा दिनांक 24-08-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित भूमि को योजना से बाहर अर्थात् भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण:—

ग्राम-सुकुलभठली

	खसरा नं.		रक़बा (हे. में)
	37/1ख		0.121
कुल खसरा 1		**कुल रकबा**	**0.121**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक/551/प्र.क्र. 1/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-खुडमुडी, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.390 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	897	0.080
	898	0.040
	894/1	0.160
	895	0.010
	896	0.080
	878	0.020
योग	6	0.390

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुरेठी-खुड़मुड़ी मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 अगस्त 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.681 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	18/3	0.534
	204	0.026
	178/5	0.332
	211	0.134
	199	0.500
	178/1	0.056
	203	0.026
	178/4	0.073
योग	8	1.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोढ़ी केलो परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 03 अ/82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-हिरमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
761/2	0.044
761/1	0.029
760	0.104
771/1	0.445
621/1	0.130
771/13	0.037
786/2	0.105
786/1	0.013
774/2	0.021
774/4	0.020
774/3	0.040
782/2-3	0.064
776/1	0.049
776/2	0.068
903/16	0.034
356/6	0.028
356/7	0.044
361	0.024
360/2	0.029
360/1	0.036
362/2	0.025
362/1	0.025
364/1	0.032
365	0.024
योग	1.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-हिरमी जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-खुरदुर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
387/3	0.24
1256/2	0.36
386	0.15
385/1	0.60
1223	0.76

(1)	(2)
384	0.02
285, 286	0.06
382	0.30
383/2	0.37
377	0.81
378	0.18
362/1	0.52
363/1	0.03
365	0.05
363/2	0.01
364	0.04
366	0.05
349/3	0.11
345	0.08
292	0.18
293	0.08
1103/4	0.24
1104	0.24
1251	0.11
367/3	0.02
349/1	0.15
348	0.15
351	0.35
347	0.23
288	0.35
274/4क	0.28
250	0.16
269/2	0.01
267/2	0.02
1248/3	0.16
268, 267/1	0.22
262	0.32
247/2	0.03
267/3	0.25
264	0.10
265/1	0.04
248/2, 249	0.25
247/1	0.25
244	0.20
245	0.26
282	0.30
1252	0.32
1254	0.31
243	0.10
246	0.08
276/3	0.17
283/3	0.28
287/1	0.02
287/2	0.57
290/3	0.38
276/3	0.27
1103/1	0.08
1103/3	0.21
1101/1	0.16
1255	0.01
1099	0.19
1256/1	0.42
1253, 1259/1	0.08
1248/1	0.15
1247/2	0.48
1246	049
1245	0.25
1244/1	0.02
1218/2	0.46
1221/1, 1222/1	0.39
1220	0.58
1226/2	0.05
1248/2	0.04
1218/1	0.15
1219	0.15
1215	0.03
1208/1	0.18
1208/3	0.18
1101/2	0.06
1209/1	0.08
योग 85	17.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक 20/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-रानीबछाली, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.66 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	361	0.40
	365, 370	0.30
	366, 367	0.30
	481	0.40
	412	0.60
	413/2	0.30
	413/1	0.40
	415	0.16
	416	0.40
	428	0.50
	431, 442/1	0.80
	446/4	0.40
	446/2	0.60
	478/1	0.50
	478/2	0.60
	478/3	0.30
	479	0.40
	480	1.00
	514/1	1.00
	515	0.30
योग	23	9.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुडा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कुआजति माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक 25/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-अमाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.95 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1676/1	0.08
	1674	0.41
	1684/7	0.25
	1684/8	0.34
	1684/5	0.31
	1684/4	0.19
	1636/1	0.01
	1636/2	0.07
	1635/1	0.07
	1634	0.26
	1629	0.11
	1631	0.29
	1632/1	0.15
	1632/3	0.25
	1692	0.31
	1694/3	0.21
	1695	0.48
	1701	0.05
	1826	0.08
	820/1	0.03
योग	20	3.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, शारदा चौक रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक/120181/नग्रानि/2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अभनपुर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उनकी एक-एक प्रति प्रदर्शनी स्थल मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत अभनपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा) अभनपुर, जिला-रायपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30-08-2014 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र सीमा में निम्नलिखित ग्राम अंकित हैं—

निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची :—

1. अभनपुर
2. बिरौंदा
3. झांकी
4. उरला
5. गिरहोला
6. बेलभाठा
7. गातापार
8. टोकरो
9. नायकबांधा
10. सतपारा
11. गोतियारडीह
12. आमनेर
13. ठेलकाबांधा
14. खोला
15. बकतरा

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसा आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल-नगर पंचायत कार्यालय अभनपुर.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक/120187/नग्रानि/2014.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आरंग निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उनकी एक-एक प्रति प्रदर्शनी स्थल मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत आरंग, अनुविभागीय अधिकारी (रा) आरंग, जिला-रायपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25-08-2014 से कार्यालयीन अवधि के

दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र सीमा में निम्नलिखित ग्राम अंकित हैं—

निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची :—

1. आरंग
2. पोंडरा
3. कलई
4. खमतराई
5. अमेठी
6. बेनीडीह
7. राटाकाट
8. पारागांव
9. पंधी
10. निसदा
11. अकोलीखुर्द
12. ओडका
13. बोरिद
14. लखौली
15. रसनी
16. घुमरभाटा
17. बैहार

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसा आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल–नगर पंचायत कार्यालय आरंग.

संदीप बांगडे,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 जुलाई 2014

क्रमांक/3109-A/रीडर/2014.—यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा

घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक पृथक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	राजस्व ग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बड़ेकारली	1320.22	उत्तर-राजस्व ग्राम कासोली एवं हीरानार दक्षिण-आरक्षित वन पूर्व-राजस्व ग्राम हारम एवं कारली पश्चिम-राजस्व ग्राम जपोड़ी एवं आरक्षित वन.	09	बड़ेकारली	गीदम	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

Dantewada, the 21st July 2014

No. 3109-A/Reader/2014.—Whereas, as per the Revenue Departments Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby, declare that village shown in Column (2) of Schedule below shall be sprat Revenue village, from the date of this notification, namely :—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of Revenue Village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Badekarli	1320.22	North-Revenue Village Kasoli and Hiranar. South-Reserve forest East-Revenue Village Haram and Karli. West-Revenue Village Japodi and Reserve forest.	09	Badekarli	Geedam	South Bastar Dantewada

के. सी. देवसेनापति
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th June 2014

No. 461/Confdl/2014/II-3-2/2002 (Part-II).—The period of probation of the following Probationary Civil Judges Class-II of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, extended for a

further period of one year :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Appointment (3)
1.	Shri Amit Jindal	10-07-2012
2.	Ku. Parul Shrivastava	11-07-2012
3.	Shri Sarv Vijay Agrawal	10-07-2012
4.	Shri Vivek Garg	09-07-2012
5.	Shri Tajuddin Asif	06-07-2012
6.	Smt. Ganga Patel	12-07-2012
7.	Smt. Ekta Agrawal	14-09-2012
8.	Shri Dular Singh	10-07-2012
9.	Shri Harendra Singh Nag	11-07-2012
10.	Shri Harish Chadra Mishra	10-07-2012
11.	Smt. Shweta Shrivastava	16-07-2012
12.	Ku. Shruti Shukla	16-07-2012
13.	Ku. Sweta	12-07-2012
14.	Shri Om Prakash Sahu	06-07-2012
15.	Shri Umesh Kumar Upadhyay	13-07-2012
16.	Shri Gitesh Kumar Kaushik	12-07-2012
17.	Smt. Seema Chandrakar	12-07-2012
18.	Shri Devendra Sahu	16-07-2012
19.	Shri Diamond Kumar Gilhare	10-07-2012
20.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi	13-07-2012
21.	Shri Sameer Kujur	12-07-2012
22.	Shri Janak Kumar Hidko	11-07-2012
23.	Shri Janardan Khare	09-07-2012
24.	Shri Gerjesh Pratap Singh	16-07-2012
25.	Smt. Priyanka Agrawal	12-07-2012
26.	Shri Hemant Kumar Ratre	10-07-2012
27.	Smt. Archana Bhaskar	12-07-2012
28.	Smt. Reshma Kujur	12-07-2012

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.